

कार्यादेश

मेसर्स
गोरखपुर


कार्य का नाम :-

पाईप लाईन का कार्य

उपरोक्त कार्य के लिए आपके पक्ष में रूपया की स्वीकृति दिनांक को सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली गयी है। कृपया कार्यादेश जारी होने की तिथि से दिन के अन्दर कार्य पूर्ण करके देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यह भी सुनिश्चित करें कि पाईप लाईन विस्तार का कार्य पूर्ण होने के पूर्व अधिकांश कनेक्शनों के जमा शुल्क रसीद की छाया प्रतियाँ पत्रावली में संलग्न करें।


उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यादेश पाने की सात दिन के अन्दर रूपया का स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कर दें। साथ ही कार्यादेश प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर जमानत धनराशि के रूप में रूपया की एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 देना आवश्यक है, जो महाप्रबन्धक (जल) के पक्ष में बन्धक रहेगा, जिसकी जांच में कोई अनियमितता पाये जाने पर अनुबन्ध/कार्यादेश निरस्त समझी जायेगी तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यदि आप द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अनुबन्ध पूर्ण नहीं कराया गया तो एसी दशा में नगर निगम, गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से पूर्ण करा लेगा। और इस पर जो भी क्षति होगी उसका समायोजन आपकी जमा किसी भी धरोहर धनराशि तथा अन्य कार्य के भुगतान से कर लिया जायेगा। यह शर्त आपको मान्य होगी। तथा कार्य को गुणवत्तापूर्वक सम्बन्धित अवर अभियन्ता की देख रेख में करायेगे।




महाप्रबन्धक
जलकल विभाग
नगर निगम, गोरखपुर

प्रतिलिपि :

1. सहायक अभियन्ता जल को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता जल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


महाप्रबन्धक
जलकल विभाग
नगर निगम, गोरखपुर



फायरविण्डो मल्लरूप का भाङ्गमल'फायर'



जान
१६/११/१९९९



फायर विशेष नकशे का भाज्जता कार्प



18/9/1978